अति–आवश्यक/कोविड–19

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी
20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।

क्रमांकः एफ 41(1)प्रायोजन/आ.ई.सी.पी.एस./दिशा–निर्देश/बा.अ.वि./2015/73664 दिनांकः 13-10-2020

आदेश

विषयः– विधि से संघर्षरत बच्चों के संस्थागत देखरेख से विमुखीकरण के दौरान प्रायोजन भत्ता (Sponsorship Award) प्रदान करने के सबन्ध में दिशा निर्देश।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में 18 वर्ष के कम उम्र के विधि से संघर्षरत बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपबंध किये गये हैं।

अधिनियम की धारा 45 एवं नियम 24 के तहत् 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे के परिवार, बाल देखरेख संस्थान (सम्प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षित अभिरक्षा), जहां बच्चा आवासरत हैं, को अनुपूरक सहायता प्रदान किये जाने के प्रावधान किये गये है।

राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "बाल संरक्षण सेवायें (सी.पी.एस.)" के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के विधि से संघर्षरत बालक/बालिकाओं को संस्थागत देखरेख की जगह पारिवारिक वातावरण में देखरेख हेतु पुनर्वासित प्रायोजन सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई हैं।

राज्य में विधि से संघर्षरत बच्चों के संस्थागत देखरेख से विमुखीकरण के दौरान पुनर्वासित प्रायोजन सहायता के सबन्ध में राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. <u>उद्देश्य–</u> बाल देखरेख संस्थानों में आवासरत विधि से संघर्षरत बालक/बालिका को उनके जैविक या विस्तारित परिवार में प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रायोजन सहयोग प्रदान करना।

2. <u>पात्रता–</u> विधि से संघर्षरत बालक/बालिका जिसकी जैविक आयु 18 वर्ष से कम हो तथा उसे किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट) द्वारा प्रायोजन सहायता प्रदान करने योग्य माना गया हो।

Scanned by CamScanner

3. <u>प्रायोजन के माध्यम से बच्चों को जोड़ने की प्रक्रिया–</u>

(i) बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बालक/बालिका को प्रायोजन कार्यक्रम से जोडने के लिए बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (प्रारूप 6), व्यक्तिगत देखरेख योजना (प्रारूप 7) एवं इतिवृत्त (प्रारूप 43) के आधार पर बच्चे को प्रायोजन सहायता की आवश्यकता के सबन्ध में आंकलन किया जायेगा।

(ii) बाल देखरेख संस्थान द्वारा आंकलन के आधार पर बच्चे के प्रायोजन सहायता हेतु योग्य पाये जाने पर प्रस्ताव मय सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं इतिवृत्त संबंधित किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय (जहॉ पर बच्चे के सबन्ध में जॉच/विचारण प्रक्रियाधीन है) को आवश्यक निर्णय हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(iii) बाल देखरेख संस्थान द्वारा किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय के अन्तिम आदेश (जॉच/विचारण उपरान्त) से संस्थागत किये गये है, के प्रकरणों में भी बच्चे को प्रायोजन सहायता की आवश्यकता के सबन्ध में आंकलन किया जायेगा।

(iv) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय के आदेश के अधिकतम 15 दिवस के भीतर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति को चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक सहायता प्रदान की जायेगी।

(v) प्रायोजन सहायता की अवधि मामला दर मामला परिवार की परिस्थितियों एवं बच्चों की उम्र के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यह अवधि 03 वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

(vi) असाधारण/दुर्लबतम मामलों में किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा बच्चे की परिवार में अच्छे से परवरिश, सकुशलता एवं विकास के लिए निरंतर सहायता की आवश्यक को दृष्टिगत रखते हुये 03 वर्ष से अधिक अवधि का विस्तार करने पर निर्णय लिया जा सकेगा, जो कि अधिकतम 02 वर्ष अथवा संबन्धित बालक/बालिका की जैविक आयु 18 वर्ष पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक लागू होगी।

4. <u>किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय की भूमिका–</u>

(i) बाल देखरेख संस्थान से किसी बालक/बालिका को प्रायोजन कार्यक्रम से जोडने के लिए प्राप्त प्रस्ताव एवं बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं इतिवृत्त के आधार पर बच्चे को प्रायोजन सहायता प्रदान करने के संबन्ध में उपयुक्त विनिश्चय किया जायेगा।

(ii) प्रायोजन सहायता हेतु बच्चे की ओर से कोई आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं इतिवृत्त तैयार करायी जाकर बच्चे को प्रायोजन सहायता प्रदान करने के संबन्ध में उपयुक्त विनिश्चय किया जायेगा।

(iii) किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा स्व–विवेक स्तर पर भी किसी बच्चे को प्रायोजन सहायता प्रदान करने के संबन्ध में जिला बाल संरक्षण इकाई को आदेश जारी किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में इकाई द्वारा 15 दिवस के भीतर परिवीक्षा

Scanned by CamScanner

अधिकारी के माध्यम से बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं इतिवृत्त तैयार करायी जायेगी।

(iv) किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा स्वंय की संतुष्टि हेतु संबन्धित बालक/बालिका एवं माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा सकेगा।

(v) किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन जॉच/विचारण अथवा निस्तारित प्रकरणों में किसी भी माध्यम से बच्चे के संस्थागत देखरेख से विमुखीकरण हेतु बच्चे को प्रायोजन सहायता प्रदान की जा सकेगी।

(vi) किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा नियम 24 (5) के तहत बच्चे को प्रायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रारूप 36 में जिला बाल संरक्षण इकाई को आदेश जारी किया जायेगा।

(vii) किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा प्रायोजन सहायता के संबन्ध में आदेश जारी करते समय बच्चे की प्रायोजन की विशिष्ट आवश्यकता का उल्लेख किया जायेगा।

(viii) बालक/बालिका को प्रायोजन कार्यक्रम से जोडने के क्रम में किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा।

5. <u>प्रायोजन भत्ता संबंधी वित्तीय प्रावधान–</u>

(i) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल संरक्षण सेवायें (सी.पी.एस.) के अंतर्गत जिला स्तर पर निर्धारित मद "प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख कोष" में से प्रायोजन सहायता हेतु जुड़े संबन्धित बालक/बालिका को प्रायोजन भत्ता जारी किया जायेगा।

(ii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रत्येक बच्चे को प्रायोजन भत्ते के रूप में राशि रूपये 2,000/– प्रतिमाह जारी की जा सकेगी।

(iii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन भत्ता बच्चे के नाम से बैंक बचत खाते में मासिक स्तर पर जारी किया जायेगा। बैंक खाते का संचालन बच्चे के माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति (जहॉ तक संभव हो माता) द्वारा किया जायेगा।

(iv) इन दिशा–निर्देशों के तहत 1 परिवार के अधिकतम 2 बालक/बालिका को लाभान्वित किया जा सकेगा।

(v) प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् 1 बच्चे को अधिकतम 3 वर्ष (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) तक लाभान्वित किया जायेगा।

(vi) प्रायोजन भत्ता जारी करने से निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे–

- सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (प्रारूप 6)
- व्यक्तिगत देखरेख योजना (प्रारूप 7)
- इतिवृत्त (प्रारूप 43)
- किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा जारी आदेश (प्रारूप 36)
- बच्चे का जन्म प्रमाण–पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे की अन्तिम कक्षा संबन्धी प्रमाण–पत्र/अंक–तालिका
- बैंक खाता विवरण

(vii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बच्चे के बैंक बचत खाते में प्रायोजन भत्ता जमा कराया जायेगा।

Scanned by CamScanner

6. प्रायोजन भत्ता बन्द करने संबंधी प्रावधान–

(i) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय को सूचित करते हुये निम्न परिस्थितियों में बच्चे का प्रायोजन भत्ता बन्द किया जा सकेगा–

- बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर।
- बच्चे की प्रायोजन की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने पर।
- बच्चे के पुनः बाल देखरेख संस्थान में प्रवेशित होने पर।
- बच्चे के शिक्षा/रोजगारमुखी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने की स्थिति में।
- बच्चे के परिवार आधारित देखरेख हेतु किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर।

7. माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति से अपेक्षाएं–

(i) बच्चे को नियमित अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना।
(ii) बच्चों को आत्मनिर्भर एवं कौशल प्रदान करने के लिए किसी रोजगारमुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
(iii) बच्चे को उम्र के अनुसार पोषण तथा स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना।
(iv) बच्चे को किसी श्रम अथवा अनैतिक कार्य में नियोजित नहीं करना तथा किसी प्रकार के दुर्व्यवहार से संरक्षित रखना।
(v) बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय/जिला बाल संरक्षण इकाई के आदेश की पालना करना।

8. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा–

(i) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संस्थागत देखरेख से विमुख होने वाले बच्चों एवं उनके माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
(ii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के परिवार की आर्थिक/सामाजिक को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।
(iii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित किये जाने वाले बालक/बालिकाओं के आवश्यक दस्तावेज (जन्म प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड इत्यादि) बनवाने तथा बैक खाता खुलवाने संबन्धी कार्यवाही सम्पादित करवायी जायेगी।
(iv) जिला स्तर पर प्रशासनिक, लेखा एवं अन्य कार्य सम्पादन हेतु सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई सक्षम होंगे।
(v) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले में इन दिशा–निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबन्धित हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करते हुये समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(vi) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन कार्यक्रम के तहत लाभान्वित बच्चों का रजिस्टर मय व्यक्तिगत पत्रावली एवं निरीक्षण पत्रावली संधारित की जायेगी।

Scanned by CamScanner

(vii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित किये गये बच्चे की देखभाल के संबंध में त्रैमासिक स्तर पर निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संबंधित किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय को प्रेषित की जायेगी।

9. <u>विशिष्ट</u>–

(i) इन दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई/बाधा हो तो उनको दूर करने, किसी बिन्दु की व्याख्या/शिथिलन, किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान की आई.डी. संख्या 132000181 दिनांक 05.10.2020 के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
बाल अधिकारिता विभाग
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांकः एफ 41(1)प्रायोजन/आ.ई.सी.पी.एस./दिशा–निर्देश/बा.अ.वि./2015/73665-842 दिनांकः 13-10-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान।
3. रजिस्ट्रार, वर्गीकरण एवं नोडल अधिकारी, किशोर न्याय समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
5. समस्त पीठासीन अधिकारी, चिल्ड्रन कोर्ट (जिला एवं सत्र न्यायालय)।
6. समस्त पीठासीन अधिकारी, पोक्सो कोर्ट।
7. समस्त प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड।
8. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षित अभिरक्षा/बालिका गृह।
9. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner